संख्या–1024 / 9–आ–3–2001

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3 लखनऊ:दिनाँक–31 मार्च, 2001

विषय : विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अर्जित की गयी भूमि का उपयोग / निस्तारण जब तक न कर दिया जाय तब तक उनके द्वारा नई भूमि के अर्जन पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा पूर्व में अर्जित की गयी भूमि का उपयोग / निस्तारण किये बिना नई भूमि के अर्जन की कार्यवाही किये जाने से उत्पन्न समस्याओं पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह पाया गया कि वर्तमान में अर्जन की प्रक्रिया विभिन्न कारणों से एक लम्बी तथा जटिल प्रक्रिया हो गयी है और प्राधिकरणों से प्राप्त सूचना अनुसार इस प्रक्रिया में 3 से 5 वर्ष का समय लगता है इन परिस्थितियों में यदि पांच वर्ष तक का समय भू–अर्जन में लगता है तो स्वाभाविक रूप से 5 वर्ष की भूमि की आवश्यकता के आधार पर इन्वेन्ट्री रखी जानी आवश्यक होगी। अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकरण का विस्तार व जनसंख्या की आवश्यकता को देखते हुए यह इन्वेन्ट्री 100 हेक्टेयर से 400 हेक्टेयर की जानी चाहिए जैसे :–

(1) जनसंख्या 10 लाख से अधिक तथा वार्षिक – अधिकतम 400 हेक्टेयर वृद्धि दर 3 प्रतिशत वार्षिक से अधिक
(2) जनसंख्या 10 लाख से अधिक परन्तु – 300 हेक्टेयर तक वृद्धि दर 3 प्रतिशत वार्षिक से कम
(3) जनसंख्या 5 लाख से अधिक तथा – 250 हेक्टेयर तक वृद्धि दर 3 प्रतिशत से अधिक
(4) जनसंख्या 5 लाख से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर 3 प्रतिशत से कम – 200 हेक्टेयर तक
(5) 5 लाख से कम जनसंख्या – 150 हेक्टेयर तक

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या 1024 (1) / 9–आ–3–2001–तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, उ0प्र0 राजस्व परिषद, लखनऊ।
4. आवास बन्धु।

आज्ञा से

जावेद एहतेशाम
उप सचिव